



# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

**National Water Development Agency**

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



सं०:राजविअ/मुख्या.)/प्रशा/आरटीआई/12/2/2021/186 दिनांक: २१/१/२०२१  
सेवा में,

श्री ओम प्रकाश,  
मकान न० 182,  
गाँव एवं पोस्ट ऑफिस-Badvasni,  
हरियाणा-131001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में ।

महोदय,


आपके दिनांक 06.01.2021 के आर.टी.आई. ऑनलाइन आवेदन जिसका रजिस्ट्रेशन सं० एनडब्ल्यूडीएवाई/आर/टी/21/00002 है, के संदर्भ में मांगी सूचना निम्न प्रकार है:-

पैरा	उत्तर
पैरा-1	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (मुख्या.), नई दिल्ली में कुल 5 अधिकारी एवं कर्मचारी कारोना पॉजिटिव पाए गए हैं ।
पैरा-2	हाँ, सभी ने चिकित्सा प्रमाण-पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) विभाग में जमा कराए हैं ।
पैरा-3	कोई नहीं ।
पैरा-4 से 8	ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया ।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र पाने के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत रा.ज.वि.अ. में प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं । अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री आर.के. जैन,  
मुख्य अभियंता (मुख्या.) एवं  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,  
रा.ज.वि.अ., 18-20 सामुदायिक केन्द्र,  
साकेत, नई दिल्ली-110017  
(e-mail Id -cehqnwda@rediffmail.com)  
फोन न०. 26852735.

भवदीय,

  
चिरंजीव सरकार

(चिरंजीव सरकार)  
निदेशक (प्रशा.) एवं सीपीआईओ

प्रतिलिपि: निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली इसे रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें ।